राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मुन्नी देवी बनाम राजकुमारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20/2016	
26/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/12/2025 को पेश हो।	
31/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा खातेदार एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 195 रकबा 3.79 हैक्टेयर साबिक खसरा नं. 664/1510 रकबा 15 बीघा किस्म बंजड सोयम वाकै ग्राम नयावास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात वादियां के पति की विरासती आराजियात है, जो कि वादियां के पति के फोत होने के उपरांत विरासत के तहत वादियां के हित में नामांतरण सं0 97 दिनांकित 02.07.2013 को तसदीक वादियां का राजस्व इन्द्राज अमल दरामद किया गया है। वादियां के पति युवराज पुत्र हरिनारायण जाति ब्राह्मण साकिन देह अनुसार वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में विगत 47 वर्ष पूर्व से बतौर गैर खातेदार चला आया है, जिसके अनुसार ही अपने जीवन काल तक वादियां के पति भूमि वादग्रस्त पर विधिक काबिज काश्त रहता आ रहा है, उसके उपरांत वादियां विधिक काबिज काश्त है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में अभी भी खाता मिलिकियत गैर खातेदार गलत दर्ज है। उक्त वर्णित विवादित भूमि के सम्बन्ध में मु० नं0 148/1966 उनवान युवराज कुमार बनाम राधेश्याम वगेरहा में पारित न्यायिक निर्णय दिनांक 26.04.1966 के तहत वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादियां के पति युवराज पुत्र हरिनारायण के हित में गैर खातेदारी अंकित करने के आदेश पारित किया गया। जिसके अनुशरण में वादग्रस्त भूमि अभितक भी गैर खातेदारी अंकित चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में गैर खातेदारी अंकित होने के उपरांत नियमानुसार खातेदारी अंकित करने की कार्यवाही करने व राजस्व इन्द्राज करने का दायित्व प्रतिवादी सं. 1 का रहा है। प्रतिवादी न. 1 ने वादग्रस्त भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी की कार्यवाही व राजस्व इन्द्राज नहीं करने की भारी भूल व चूक किया है, जबकि विधिक न्यायिक प्रावधानों अनुसार वादग्रस्त भूमि अर्सो दराज पूर्व ही खातेदारी में अंकित हो जानी चाहिए थी। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 की मूल व चूक के कारण वादियां के विधिक खातेदारी प्राप्त करने के हक अधिकारों पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता, बल्कि वादियां प्रतिवादी नं. 1 के विरूद्ध अपने वैधानिक खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारी है। वादियां अपनी हक हकूक वादग्रस्त आराजियात पर अपने पति के जीवन काल तक उनके साथ रहते हुए एवं उनकी मृत्यु उपरांत बतौर गैर खातेदार स्वयं काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि में वादियां अपने	

पति के जीवन काल से लेकर अब तक वैधानिक हकअधिकार के तहत निरन्तर काबिज रहते हुए आ रही है तथा समय समय पर वादियां के पति ने वादग्रस्त भूमि में बाजरे व सरसो की काश्त भी किया है। भू-राजस्व अधिनियम व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि में वादियां के हक अधिकार मालिकाना व हकखातेदारी बहाल हो चुका है तथा वादियां कानूनन उक्त भूमि वादग्रस्त के हक खातेदार काश्तकार पूर्व में ही हो चुकी है, लेकिन वादियां के हित में खातेदारी इन्द्राज नहीं कर प्रतिवादी सं. 1 ने भारी भूल व चूक किया है, जो कि वादियां अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा जरिये अदालत कराने की विधिक अधिकारी है। वाद पत्र के अन्त में घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का अनुतोष चाहा गया|

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये| तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26/08/2025 पारित करते हुये वादिया राजकुमारी उर्फ़ राजा देवी पत्नी स्व. युवराज जाति ब्राह्मण हाल निवासी मकान नम्बर 2622, तेली पाडा चौड़ा रास्ता, जिला जयपुर को भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 3.79 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 664/1510 रकबा 15 बीघा राजस्व ग्राम नयाबास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये| जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-96 जाप्ता दीवानी एवं प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत हुई| जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस दिनांक 12/11/2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के साथ अपील के गुणावगुण पर इकजाई रूप से समायत की गयी|

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया| उद्धरित तथ्यों के अधर पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से प्रार्थना पत्र धारा-151 सीपीसी के माध्यम से उठाई गयी आपत्ति उचित प्रतीत नही होती है क्योकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम में कोई डिक्री बनाया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नही होता है ऐसे में डिक्री की प्रमाणित प्रति के अभाव में अपील को अपूर्ण माना जाकर ख़ारिज किया जाना न्ययोचित्त प्रतीत नही होता है एवं जब किसी प्रकरण में निर्णय उपरांत डिक्री जारी नही की गयी हो तो निर्णय के क्रियात्मक आदेश को डिक्री माना जाना उचित समझा जाता है| अत: प्रार्थना पत्र धारा-151 सीपीसी अस्वीकार कर ख़ारिज किया जाता है| जहाँ तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है तो गुणावगुण पर उभयपक्षों द्वारा उद्धरित तथ्यों के

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मुन्नी देवी बनाम राजकुमारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सुने बिना एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी राजस्व कैम्प में ख़ारिज कर दिया गया जबकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अपीलाधीन भूमि में अपीलांट का हित निहित होना जाहिर होता है एवं इसकी पुष्टी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा के वाद से भी होती है। इसके अतिरिक्त घोषणा के बिन्दु को तय करने के लिये विधिक प्रावधानों की अनुपालना करते हुये साक्ष्य-सबूत का तनकीवार परीक्षण/विवेचन विस्तृत रूप से किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर सरसरी तौर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26/08/2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर साक्ष्य-सबूत प्राप्त कर तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत रूप से परीक्षण/विवेचन करते हुये पुन: विधिसम्मत निर्णय/डिक्री पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।